शाहजहाँपुर पुलिस

112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 06.11.2024

थाना निगोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी , बकरा/बकरी चोरी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को मय दस हजार रूपये नकद (बकरा चोरी कर बेचने से प्राप्त रूपये) सहित किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही एवं अपराध की रोकथाम अभियान के क्रम में थाना निगोही पुलिस टीम को बडी कामयाबी हासिल हुई ।

वादिनी मुकदमा श्रीमती चमेली देवी पत्नी स्व0 रामकिशन निवासी ग्राम पिपरिया खुशाली थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 622/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 14/10/2024 की रात्रि में वादिनी के घर के बाहर बंधे दो बकरे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ था । जिसमें आज दिनाँक 06.11.2024 को थाना निगोही पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नाबिर पुत्र नन्हें उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया । जिसकी जामा तलाशी से 10000 रूपये बरामद हुये । **अभियुक्त द्वारा बकरा चोरी करने का जुर्म कबूल किया गया है। व पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई व अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।**

पुछताछ विवरण

जिसके संबंध में अभियुक्त नाबिर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैने करीब 25 दिन पहले रात्रि के समय ग्राम पिपरिया खुशाली से दो बकरे सड़क किनारे घर के बाहर से चोरी किये थे । जिनको चलते फिरते रास्ते मे किसी बकरा काटने वाले व्यक्ति को बेच दिया था । दोनों बकरो को बेचकर मुझे 20000 रूपये मिले थे । जिसमें से 10000 रूपये खाने पीने व घर में खर्च हो गये है शेष 10000 रूपये मेरे पर्स में रखे है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.नाबिर पुत्र नन्हे निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 4282/17 धारा 380/457 भादवि थाना सदर बाजार

2. मु0अ0सं0 996/17 धारा 394 भादवि थाना निगोही

3. मु0अ0सं0 97/19 धारा 147/294/323/504/506 भादवि थाना सिधौली

4. मु0अ0सं0 743/19 धारा 376/506 भादवि थाना सदर बाजार

5. मु0अ0सं0 134/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधौली

6. मु0अ0सं0 622/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना निगोही

अभियुक्तगण से बरामदी

1. कुल 10000 रूपये नकद (चोरी किये गये बकरो को बेचकर प्राप्त किये गये 20000 रूपये में से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान
2. उ0नि0 ओमकार सिंह
3. उ0नि0 पवन कुमार
4. का0 2841 देवेश कुमार
5. का0 2527 अनुज चौधरी